HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

(158)

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश
19, महर्षि दयानन्द मार्ग,
इलाहाबाद

अनुशासन समिति परिवाद संख्या : 342/2009

बी0सी0आई0 ट्रांसफर केस नं0 72/2013

डॉ0 दिनेश चन्द्र अवस्थी, लखनऊ .... वादी

बनाम

श्री अनु प्रताप सिंह, एडवोकेट, लखनऊ .... प्रतिवादी

निर्णय

प्रस्तुत शिकायत डॉ0 दिनेश चन्द्र अवस्थी द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अनु प्रताप सिंह, एडवोकेट के विरूद्ध इस बावत दिया कि जब वह अपने वाद संख्या 65/93 की पैरवी के सिलसिले में दिनांक 09.05.2005 को उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के कक्ष संख्या 20 में गये थे व वापस आते समय न्याय कक्ष संख्या 3 के निकट सीढ़ियों से उतरने के लिये खड़े थे कि अनु प्रताप सिंह ने अधिवक्ता की यूनिफार्म में होते हुए उन्होंने जानबूझकर धक्का दे दिया व गालियां दी एवं हाईकोर्ट में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही प्रतिवादी ने अपने पिता की शिकायत के बारे में भी उलाहना दी। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाना वजीरगंज में लिखाई गयी रिपोर्ट व उच्च न्यायालय में प्रवेश के लिये बनाये गया प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न की। साथ ही शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री का प्लाट सम्बन्धी प्रतिवादी से पूर्व में विवाद होने की बात व तत्सम्बन्धी दस्तावेज दाखिल किये। जिसमें उन्होंने अपनी मां के प्लाट व शिकायतकर्ता के प्लाट के आस–पास होने व तत्सम्बन्धी विवाद को स्वीकार किया एवं शिकायतकर्ता के ऊपर मनोबल गिराने, उत्पीड़न करने व कैरियर बर्बाद करने के लिये झूठी शिकायत की। परिवाद पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है तथा शिकायत कर्ता द्वारा अपने जवाब में घटना को मनगढ़न्त व असत्य बताया।

प्रतिवादी अधिवक्ता के जवाब में परिवाद पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है तथा शिकायत कर्ता द्वारा अपने जवाब में घटना को मनगढ़न्त व असत्य बताया। जवाब आने के बाद बार काउंसिल के समक्ष शिकायत मय जवाब प्रस्तुत की गयी जिसमें बार काउंसिल ने अनुशासन समिति को मामले को सुनवाई के लिये अग्रसारित किया। दिनांक

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

27.09.2009 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री महेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता की अनुशासन समिति के लिये अगसारित किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता प्रार्थनापत्र देकर वाद किसी दूसरी अनुशासन समिति के समक्ष स्थानान्तरित करने के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 21.06.2010 को श्री रमाकान्त मिश्र जी की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति को आबंटित किया गया। दिनांक 21.11.2010 को पत्रावली में बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित किया गया।

दिनांक 28.10.2016 को बार काउंसिल के समक्ष अग्रिम आदेश हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने का आदेश हुआ व उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के रिवीजन पिटीशन नं0 46/07 पर दिनांक 08.02.2009 को माननी बार काउंसिल ऑफ इण्डियां द्वारा वाद को सुनवाई के लिये वापस राज्य विधिज्ञ परिषद को भेजा गया।

पत्रावली में कोई आदेश अनुशासन समिति द्वारा नहीं किया गया व आम चुनाव हो जाने के कारण श्री अमरेन्द्र नाथ सिंह की अध्यक्षता की समिति में उक्त पत्रावली पर दिनांक 15.07.2012 को पक्षकारों को प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया तत्पश्चात् मामले में कई तिथियों पर पक्षकार उपस्थित हुए व दिनांक 12.01.2013 को वाद बिन्दु का निर्धारण किया गया व 05.02.2013 को पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर और प्रदान किया गया।

वाद बिन्दु निर्धारण के लिये पक्षकारों द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया व मामले में दिनांक 03.03.2013 को उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित किया गया।

निर्णय न हो पाने के कारण व मामले के 01 साल से अधिक हो जाने की वजह से निर्णय नहीं किया जा सका व पत्रावली बार काउंसिल ऑफ इण्डिया भेज दी गयी। बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा दोबारा पत्रावली आने पर इसी समिति को मामला अग्रसारित किया जिसमें पक्षकारों को 05.06.2015 को बुलाने हेतु नोटिस जारी की गयी। दिनांक 05.06.2015 को पक्षकार उपस्थित आये किन्तु उभय पक्षों ने एक मत से बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के आदेशानुसार बिना बहस सुने केवल निर्णय करने की बात पर जोर दिया इसलिये पक्षकारों की बिना बहस सुने ही मामले में निर्णय सुरक्षित किया गया।

समिति द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया व उभय पक्षों की इस बात पर विश्वास किया गया वादी की पुत्री का प्लाट संख्या 104 जहां पर स्थित है उसी के पास में प्रतिवादी की मां का प्लाट संख्या 103 हैं व आपस में प्लाट के कब्जे/सीमा विवाद की बात उभय पक्षों द्वारा स्वीकार की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य व शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों से व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजीय साक्ष्य व पूर्व में पक्षों के द्वारा की गयी मौखिक बहस से समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती

BAR COUNCIL U.P. Allahabad

दिनांक 05.06.2015 को पक्षकार उपस्थित आये किन्तु उभय पक्षों ने एक मत से बार

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

(160)

है कि घटना की तिथि 09.05.2005 को वादी उच्च न्यायालय परिसर लखनऊ में उपस्थित था व प्रतिवादी ने उन्हें जान बूझकर धोखा दिया, गाली दी व हाईकोर्ट में दोबारा दिखाई पड़ने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता पर वादी द्वारा लगाये गये आरोप पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सिद्ध होते हैं।

किसी भी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय परिसर के अन्दर भी पक्षकार से हाथापाई करना जान बूझकर धक्का देना, गालियां देना या किसी न्यायालय परिसर में आने पर जान से मारने की धमकी देना व्यवसायिक कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है, किन्तु उक्त सारे कृत्य निश्चित रूप से अन्य कदाचार की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय परिसर न्याय का मन्दिर होते हैं व कोई भी विधि व्यवस्था किसी भी व्यक्ति, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी अथवा किसी भी कर्मचारी को यह अनुमति नहीं देते कि किसी पक्षकार के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट या गाली गलौज अनुशासन समिति विपक्षी अनु प्रताप सिंह पंजीकरण संख्या यू0पी0 9988/02 को अन्य कदाचार का दोषी पाती है। चूंकि अधिवक्ता अनु प्रताप सिंह की प्रैक्टिस घटना की तिथि पर बहुत ज्यादा नहीं थी इसलिये उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कठोर दण्ड दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा, किन्तु उन्हें दण्डित न किये जाने पर युवा अधिवाक्ताओं द्वारा पक्षकारों के साथ इस तरह की घटनायें बढ़ने को भी प्रेरित किया जा सकता है। इसलिये समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अनु प्रताप सिंह को 06 माह के लिये विधि व्यवसाय से निलम्बित किया जाना न्यायोचित होगा। इस दौरान उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित रहेगा। उक्त मामले में वादी द्वारा लम्बे समय से प्रतिवादी के विरूद्ध शिकायत में समिति के समक्ष विभिन्न सुनवाई व बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा है जिसके लिये समिति की राय से 5000/– वाद व्यय अर्थ दण्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जमा किये जाने के उपरान्त वादी को देय होगा।

दिनांक : 10-06-2016

BAR COUNCIL OF U.P. 22/10/23 Allahabad

TRUE COPY

अनुभाग अधिकारी
अनुशासन समिति
बार कौंसिल ऑफ उ0प्र0, प्रयागराज